(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1419-दो/2004 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 08-04-2004 पारित द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 299/2003-04 अपील

1- भेल्ला कोरी पुत्र घुरईया कोरी
2- समइया कोरी पुत्र घुरईया कोरी
3- भीसम कोरी पुत्र घुरईया कोरी
तीनों निवासीगण ग्राम धतुआ तहसील अमर पाटन जिला सतना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- कोईलाल नाई 2- कल्लू नाई
दोनों पुत्रगण भाउ नाई ग्राम धतुआ तहसील अमर पाटन जिला सतना --अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव)
(अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित - एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 02-05-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 299/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम धतुआ स्थित आराजी क्रमांक 401, 402, 405 पर राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन ने ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 17 पर आदेश दिनांक 25-1-1994 से कालू नाई, कोदू नाई, गनपत लुहार का नामान्तरण किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 49/99-2000 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-12-1999 से राजस्व निरीक्षक वृत्त मोहारी कटरा का आदेश दिनांक 25-1-1994 निरस्त किया तथा पक्षकारों को सुनकर पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय में प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। नायव तहसीलदार वृत्त मोहारी कटरा तहसील अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 127 अ-6/1998-99 पॅजीबद्व किया तथा पक्षकारों को सुनकर आदेश दिनांक 30-12-2000 पारित किया एंव कोदूलाल पुत्र भाउ नाई एंव कालू नाई पुत्र भाउ नाई का नामान्तरण आवेदन अॅशतः स्वीकार किया । इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन ने प्रकरण कमांक 189/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-1-2004 से ग्राम धतुआ की आराजी कमांक 402 के अंश रकबा 0.07 एकड एंव आराजी कमांक 405 के रकबा 0.17 एकड़ कुल किता 2 कुल रकबा 0.24 एकड़ पर मेल्ला, समई, भीसम पुत्र रघुराई कोरी का नामांत्रण स्वीकार करते हुये उक्त रकबे से अनावेदकगण का नाम विलोपित करने के आदेश दिये। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 31-1-2004 के विरूद्व आवेदकगण ने अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 299/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-2004 से अनुविभागीय अधिकारी अमरपाटन को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि वह हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः आदेश पारित करें। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

5/ आवेदकगण के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि वाद विचारित भूमि आवेदकगण के पिता घुरईया कोरी ने संबत 1985 में रूपये 12-00 में खरीदी है तथा विकी दिनांक से वाद विचारित आराजी पर मकान आदि बनाकर काविज हैं निगरानीकर्ता अपढ़ एंव किसान है जिसके कारण कय करने के उपरांत वाद विचारित भूमि पर अपना नामांत्रण नहीं करा सके थे। नायव तहसीलदार ने प्रकरण में पूर्ण जॉच करके आवेदकगण का नामान्तरण किया है जिसे

अनुविभागीय अधिकारी ने भी सही मानकर आवेदकगण का नामान्तरण सही भाग पर कर दिया है किन्तु अपर आयुक्त ने जानबूझकर पक्षकारों के बीच मुकदमेवाजी बढ़ाने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जावे।

6/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के प्रकरण कमांक 299/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-2004 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 8-4-04 में अनुविभागीय अधिकारी को यह निर्देश दिये हैं कि दोनों पक्षकारों को श्रवण कर पुनः विधि-सम्मत आदेश पारित किया जाय। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत कर आवेदकगण राजस्व मण्डल से गुणदोष पर आदेश पारित कराने का आग्रह कर रहे हैं जबकि अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा के आदेश दिनांक 8-4-2004 पर से आवेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पक्ष प्रस्तुत करने एंव अपना दावा प्रमाणित कराने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 299/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-2004 में हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त,रीवा संभाग,रीवा द्वारा प्रकरण कमांक 299/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-4-2004 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0
ग्वालियर